भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2721

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाना है)

कर हस्तांतरण नीति

2721. श्री राजेश वर्माः

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्रीमती शांभवी:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से राज्य सरकारों को किए गए हस्तांतरण आबंटन का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को कर हस्तांतरण की गणना एवं वितरण में पारदर्शिता एंव जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) उच्च विकासात्मक अंतराल वाले राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर हस्तांतरण में मौजूदा तंत्रों का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने कर हस्तांतरण ढांचे में जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा तन्यकता जैसे गतिशील कारकों को एकीकृत करने की योजना बनाई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास कर हस्तांतरण नीति के लिए अधिक समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण विकसित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श को बढ़ाने की कोई दीर्घकालिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 से राज्यों को जारी केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा नीचे दिया गया है: *(करोड़ रूपये)*

राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (10.3.2025 तक)
आंध्र प्रदेश	28242.39	24460.59	35385.83	38176.74	45710.74	52080.15
अरुणाचल प्रदेश	8987.57	10472.58	14643.90	16689.17	19845.22	22610.55
असम	21721.44	18629.32	28150.55	29694.26	35330.57	40253.77
बिहार	63406.33	59861.41	91352.62	95509.85	113604.49	129434.93
छत्तीसगढ	20205.84	20337.54	28570.86	32358.26	38481.88	43844.17
गोवा	2479.85	2296.53	3356.98	3665.19	4359.85	4967.38
गुजरात	20232.09	20218.53	31105.78	33034.00	39283.63	44757.99
हरियाणा	7111.53	6437.59	9722.16	10378.00	12345.35	14065.65
हिमाचल प्रदेश	4677.56	4753.92	7349.04	7883.98	9374.72	10681.24
जम्मू एवं कश्मीर	6801.81	-	-	-	-	-
झारखंड	20593.04	19712.23	27734.64	31404.12	37352.35	42557.30
कर्नाटक	30919.00	21694.11	33283.58	34596.18	41192.63	46932.72
केरल	16401.05	11560.40	17820.09	18260.68	21742.92	24772.38
मध्य प्रदेश	49517.61	46922.16	69541.50	74542.85	88665.34	101020.45
महाराष्ट्र	36219.64	36504.01	54318.06	60000.98	71349.75	81292.84
मणिपुर	4047.77	4271.97	6009.65	6795.08	8087.14	9214.13
मेघालय	4211.78	4551.63	6580.63	7286.14	8663.22	9870.40
मिजोरम	3017.80	3010.55	4222.87	4745.25	5647.47	6434.44
नगालैंड	3267.08	3409.25	4875.46	5400.19	6426.82	7322.37
ओडिशा	30453.25	27542.67	38144.79	42989.33	51143.68	58270.00
पंजाब	10345.78	10638.21	15288.79	17163.65	20409.92	23254.04
राजस्थान	36049.14	35575.77	54030.61	57230.78	68063.21	77547.76
सिक्किम	2407.69	2308.47	3353.69	3680.28	4382.44	4993.11
तमिलनाडु	26392.40	24924.51	37458.60	38731.24	46072.28	52491.88
तेलंगाना	15987.59	12691.62	18720.54	19668.15	23742.04	27050.25
त्रिपुरा	4211.78	4218.45	6077.52	6724.23	7996.82	9111.14
उत्तर प्रदेश	117818.30	106687.01	160358.05	169745.30	202619.69	230854.62

उत्तराखंड	6901.54	6568.72	9906.25	10617.01	12627.75	14387.36
पश्चिम बंगाल	48048.40	44737.01	65540.75	71434.93	84971.79	96812.42
कुल	**650677.05**	**594996.76**	**882903.79**	**948405.82**	**1129493.71**	**1286885.44**

भाग (ख): केंद्रीय करों और शुल्कों के साझा करने योग्य हिस्से का हस्तांतरण वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार राज्यों को किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अनुसार, हस्तांतरण के प्रयोजनार्थ परिकलित 'निवल प्राप्तियां' भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

भाग (ग से ड़): संघ और राज्यों के बीच निवल प्राप्तियों के संवितरण को तय करने वाली पद्धति का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है, जैसा कि वह उचित समझें। रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान, वित्त आयोग राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से परामर्श करता है।

***